न्यायालय सहायक कलक्टर जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या- 29/2019

1- मनीराम पुत्र झूमरराम।
2- मूरती मनोहर पुत्र झूमरराम।
3- रामकिशोर पुत्र झूमरराम।
4- सुरेश पुत्र झूमरराम जातियान जाट निवासीगण रोल तहसील जायल जिला नागौर।

_____ वादीगण

बनाम

1- झूमरराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर।
2- सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

_____ प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण-

1- अधिवक्ता श्री जीयाराम गौदारा वादीगण की ओर से।
2- अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर प्रतिवादी सं 01 की ओर से।

-: निर्णय :-

दिनांक 28.8.19

वादी वादीगण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा रोल के खेत खसरा नम्बर 256 रकबा 30 बीघा 07 बिस्वा एवं खेत खसरा न. 296 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 01 बिस्वा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बटवाडा सम्वत 2070 को आखातीज को कर लिया है। बटवाडा स्कीम निम्न प्रकार है-

1. यह है कि वादी सं 01 मनीराम के हक बट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा रोल के खेत खसरा नं. 296 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा एव खेत खसरा नं. 256 रकबा 30 बीघा 07 बिस्वा में से 1 बीघा 16 बिस्वा मध्य भाग रखा गया है।
2. वादी सं. 02 मुरती मनोहर के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा रोल के खेत खसरा नं. 256 रकबा 30 बीघा 07 बिस्वा में से 09 बीघा 10 बिस्वा दक्षिणी हिस्सा रखा गया है।
3. वादी स. 03 रामकिशोर के हकबट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा रोल के खेत खसरा नं. 256 रकबा 30 बीघा 07 बिस्वा मे से 09 बीघा 11 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा रखा गया है।
4. वादी स. 04 सुरेश के हकबंट कब्जाकाश्त एवं खातेदारी मे ग्राम रोल के खेत खसरा नं. 256 रकबा 30 बीघा 07 बिस्वा मे से 09 बीघा 10 बिस्वा उत्तरी हिस्सा रखा गया।
5. प्रतिवादी सं. 01 झूमरराम 90 वर्षीय बुजुर्ग होने से तथा चलने फिरने मे असमर्थ होने से उनके हकबंट में नगदी व गौर बाडे रखे गये है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क, ख, ग, घ व ड के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 की और से वकील श्री शिवकुमार पाराशर ने ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 के बीच सहमति होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ताओं वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अगल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारों में सहमति होने के कारण सहमति के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :–

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी मापिक डिक्री पत्रा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner